संख्या- 15 / 2021 / 422/53-2-2021-44(बजट)/2018

प्रेषक,

रवि शंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0,
लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 10 मई, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत प्रथम किश्त का भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-15/दुग्ध-4/नियोजन/उ0प्र0रा0दु0परि0वि0सहा0(237)/2021-22, दिनांक 15अप्रैल, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू0 112.20लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 28.05लाख निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि को आहरित कर किसी बैंक / डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस प्रयोजन/जिन कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसी मद/प्रयोजन में ही [illegible]का व्यय अनुमन्य होगा। धनराशि का निर्धारित मद से [illegible]र मद में प्रयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त,दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/ 2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं अन्य संगत शासनादेशों में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 अन्तर्गत लेखाशीर्षक '2404-डेरी विकास-102डेरी विकास परियोजनायें-10-उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/ 2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 के परिपेक्ष्य में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

.....2/-

संख्या-15 /2021 / 422(1) /53-2-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2. सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।